अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका सं0–निग/सारा–4 (पथ)–आरोप–76/2018 पटना, दिनांक :– 22/1/19

कार्यालय आदेश –28

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा दिनांक–24.12.2018 को विभाग में समर्पित प्रतिवेदनानुसार श्री नवल किशोर, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को दिनांक–22.12.2018 को रिश्वत लेते निगरानी अनवेषण ब्यूरो, पटना के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है।

2. विषयाधीन मामले में पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का पत्रांक–4123/अप0 शा0 दिनांक–26.12.2018 जो प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना को सम्बोधित है, में इस आशय की सूचना प्रतिवेदित की गई है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल के द्वारा दिनांक–21.012.2018 को परिवादी श्री मनोज कुमार नारायण सिंह से श्री नवल किशोर, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को रू0 1,91,000/– (एक लाख, एकानवे हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिनांक–22.12.2018 को माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से आदेशानुसार उन्हे न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस, केन्द्रीय कारा मुजफ्फरपुर भेजा गया है।

3. प्रश्नगत मामले में विभागीय स्तर पर की गई समीक्षा में यह पाया गया कि चूँकि श्री नवल किशोर, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) अपराधिक मामले में दिनांक–22.12.2018 से काराधीन है, अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री किशोर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (2) के अन्तर्गत काराधीन होने की तिथि 22.12.2018 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन की अवधि में श्री किशोर को नियमानुसार मात्र जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा।

5. इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(हस्ताक्षर) 22/1/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0प0

Sec-31/RAJ KISHOR JI/LETTER.DOCD.

ज्ञापांक– सं0 604(8) पटना, दिनांक :– 22/1/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/अधीक्षण अभियंता पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (निगरानी) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव मुख्यालय (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–3, 6, 13, 14 एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री नवल किशोर, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल, पश्चिम चम्पारण (मोतिहारी), (पूर्व बेतिया)/पत्राचार का पता–श्री नवल किशोर, ग्राम–सालेमपुर, पोस्ट–नदौल, जिला–जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– सं0 निग/सारा–4 (पथ)–आरोप–76/2018 963(S) पटना, दिनांक :– 28/1/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव (निगरानी)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Sec 31/RAJ KISHOR JI/ LETTER.DOCD.